न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 45/2013

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भरत ओसवाल पुत्र सुमेरमल जाति ओसवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना बजरिये अध्यक्ष श्री संभवनाथ जैन सेवा मण्डल पादरू तहसील,सिवाना		1.ग्राम पंचायत पादरू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पादरू 2.मोहिनीदेवी पत्नि मूलचन्द जाति ओसवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.04.2007 जो ग्राम पंचायत,पादरू द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 मोहिनीदेवी के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 31.01.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत पादरू ने अप्रार्थीनी संख्या 02 मोहिनी पत्नि मूलचन्द के पक्ष में ग्राम पादरू की आबादी भूमि में नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.04.2007 को जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा की भूमि उसकी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है, जिस पर सोनराज वगैरा के नाम ग्राम पंचायत पादरू द्वारा दिनांक 22.01.1967 को पट्टा संख्या 27 मिसल संख्या 38 द्वारा जारी किया गया था सोनराज वगैरा द्वारा इस पट्टे की भूमि का अन्तरण पृथ्वीराज पुत्र पुखराज गोठी के पक्ष में किया गया था। पृथ्वीराज द्वारा यह भूमि जरिये ईकरारनामा के श्री संभवनाथ जैन सेवा मण्डल पादरू के नाम से दिनांक 22.07.1997 को विक्रय की गई, तब से प्रार्थी का कब्जा है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत पादरू ने मिसल कायम नहीं की है, प्रार्थी ने उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधित जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर मिसल कायम नहीं कर विधि विरूद्ध पट्टा जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत पादरू से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया। ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव पादरू ने दिनांक 03.01.2017 को पत्र पेश कर जारी पट्टा से सम्बन्धित रसीद बुक,मिसल,एंव बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत पादरू के कार्यालय में उपलब्ध नही होना बताया है एंव जारी पट्टा की प्रति पेश की।

3. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनीं। प्रार्थी के विध्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में सोनराज,अमीचन्द,मूलचन्द,डूगरमल बेटा पोता मानाणी महाजन निवासी पादरू के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.01.1967 को पट्टा संख्या 27 मिसल संख्या 38 द्वारा,जिसकी पूर्वी भुजा 68 फीट,पश्चिमी भुजा 69.6 फीट, उतरी भुजा 77.6 फीट व दक्षिण भुजा 77.6 फीट सोनराज वगैरा के पक्ष में जारी किया गया था। सोनराज वगैरा द्वारा इस भूमि में से पूर्वी भुजा 29.6 फीट, पश्चिमी भुजा 23.6 फीट,उतरी भजा 72 फीट व दक्षिणी भुजा 77.6 फीट भूमि का अन्तरण पृथ्वीराज पुत्र पुखराज गोठी के पक्ष में किया गया था। पृथ्वीराज द्वारा यह भूमि जरिये ईकरारनामा के श्री संभवनाथ जैन सेवा मण्डल पादरू के नाम से दिनांक 22.07.1997 को विक्रय की गई थी। इस विक्रय की गई भूमि विधि अनुसार निगरानीकर्ता की संस्था के नाम हस्तांतरित हुई। जिस पर 1997 से लगातर आज दिन तक निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत पादरू द्वारा इस भूमि का पट्टा अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में गलत रूप से जारी किया गया है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत पादरू ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 कोई पालना नहीं की गई है। मौका कमेटी में किन वार्ड पंचो को नियुक्त किया उसकी कोई आदेशिकां नहीं है, मौका कब देखा गया,आपति बाबत नोटिस किस तारीख को एंव किन मौतबिरान के सामने चस्पा किये गये है,यह स्पष्ट नहीं है मौके पर अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा कभी नहीं रहा है और अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई रहवास नहीं है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है। जबकि इस नियम के तहत निर्मित पुराने मकान हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत ने नियम 145 से 157 की पालना नहीं कर प्रार्थी की भूमि पर गलत पट्टा जारी किया है। इसलिये विधि विरूद्ध जारी पट्टा को निरस्त किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 02 के विद्ववान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड श्री सम्भवनाथ जैन सेवा मण्डल पादरू के स्वामित्व व आधिपत्य का होने से राजीनामे एंव दोनो पक्षों की सहमति अनुसार मोहिनी देवी के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाए।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली, उस पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत पादरू ने अप्रार्थीनी संख्या 02

जिला कलक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

के पक्ष में 1750 वर्ग फीट का पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.04.2007 को जारी किया गया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष निगरानी पेश की है। अप्रार्थीनी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पादरू को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया गया है, उसकी प्रति न तो अप्रार्थीनी संख्या 02 ने पेश की है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र. में भूमि का विवरण देगा जो कय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो और आवदेन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/–जमा कराने चाहिये। मगर इस सम्बन्ध में अप्रार्थीनी द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लाज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। ग्राम पंचायत पादरू ने मौका कमेटी गठित करने और मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई साक्ष्य नहीं है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 02 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना थां इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। मगर इस मामले में कोई नोटिस जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा की प्रति के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने यह पट्टा 200/–वसूल की नियम 157(ख) के तहत जारी करना अंकित किया है। नियम 157पुराने गृहो का विनियमितिकरण के अन्तर्गतनियम 157(1)(ख)अनुसार इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान पुराने मकानो हेतु रूपये 200/–प्राप्त कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में मौका कमेटी की कोई रिपोर्ट एंव मकान निर्मित होना और पुराना मकान होने का रेकर्ड पर कोई दस्तोवज नहीं है। अप्रार्थीनी को किस आधार पर पट्टा जारी किया गया, कोई आधार साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नहीं है।ग्राम पंचायत पादरू ने बिना जॉच किये एंव बिना विधिवत प्रकिया अपनायें अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत राज नियमो में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता,शुद्धता एंव औचित्यता का मूल रिकॉर्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में ग्राम पंचायत पादरू ने कायम की गई मिसल, कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया है। ग्राम पंचायत पादरू से रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत पादरू ने अपने पत्र दिनांक 03.01.2017 में जारी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं होना बताया है। इस प्रकार इस मामले में ग्राम पंचायत पादरू ने नियम 145 से 157 की पालना नहीं कर मिसल कायम किये बिना एंव निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा 01 दिनांक 20.04.2007 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

6. प्रार्थी का यह कथन कि विवादग्रस्त पटटा की भूमि सोनराज वगैरा द्वारा पूर्वी भुजा 29.6 फीट, पश्चिमी भुजा 23.6 फीट,उतरी भजा 72 फीट व दक्षिणी भुजा 77.6 फीट भूमि का अन्तरण पृथ्वीराज पुत्र पुखराज गोठी के पक्ष में किया गया था। पृथ्वीराज द्वारा यह भूमि जरिये ईकरारनामा के श्री संभवनाथ जैन सेवा मण्डल पादरू के नाम से दिनांक 22.07.1997 को विक्रय की गई थी। इस विक्रय की गई भूमि विधि अनुसार निगरानीकर्ता की संस्था के नाम हस्तांतरित हुई। जिस निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। मगर इन कथनो के समर्थन में प्रार्थी की ओर से मूल रिकॉर्ड/दस्तावेज न्यायालय में समक्ष पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त पट्टा की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी का भी स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थी को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में स्वंय के स्वामित्व की घोषणा करने हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 मोहनी देवी के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.04.2007 खारिज किया जाता है और ग्राम पंचायत पादरू को निर्देश दिये जाते है कि विवादग्रस्त पट्टा की भूमि के तथाकथित कब्जे के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच करके कार्यवाही करें।

(शिवप्रसाद एस.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय ख्आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner